न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

वाद संख्या : 5 / 2016

छोटूलाल पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण जाति माली निवासी बेयर हाउस के पास अन्ता रोड सीसवाली तह0 मांगरोल जिला बारां ..... प्रार्थी

♠ बनाम ♠

1. भंवरसिह चौधरी पुत्र प्रभूलाल चौधरी जाति जाट निवासी उदपुरिया तह0 मांगरोल
2. पुरूषोत्तम पुत्र रामनारायण जाति महाजन निवासी सीसवाली
3. मुख्तार पुत्र अली मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी सीसवाली
4. कय्यूम गहलोत पुत्र नूर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी सीसवाली
5. श्यामलाल } पुत्रान लक्ष्मीनारायण जाति माली निवासी बेयर हाउस के पास सीसवाली
6. रामलाल }
7. केसरीलाल पुत्र देवा } जातियान माली निवासीगण सीसवाली तह0 मांगरोल जिला बारां
8. हीरालाल पुत्र देवा
9. धनराज पुत्र देवा
10. गिर्राज पुत्र देवा
11. भूली बाई पत्नि रामचरण जाति मीना निवासी कनाडा तहसील मांगरोल
12. मुकेश पुत्र सूरजमल } जातियान माली निवासी अन्ता रोड सीसवाली तह0 मांगरोल
13. रिंकू पुत्र सूरजमल
14. भवानीशंकर पुत्र सूरजमल
15. सुनीता पुत्री सूरजमल
16. कृष्णा पुत्री सूरजमल
17. प्रेमबाई बेवा सूरजमल

....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट

पीठासीन अधिकारी : हिम्मताराम मेहरा (आरएएस)

वकील प्रार्थी : श्री विरेन्द्र सिंह

वकील अप्रार्थी : श्री महेन्द्र सिंह हाडा

दायरा दिनांकः 8.02.2016

निर्णय दिनांक : 02.08.2017

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी व प्रतिवादी कम 5 ता 17 की खाते की आराजी खाता संख्या 275 वाके माल सीसवाली में खसरा नं0 1840/0.04, 1885/0.06, /0.15, 1889/0.04, 1893/0.06, 1895/0.12, 1897/0.09, 1898/0.15, 1899/0.04, 1900/0.05, 1/0.09, 2189/0.01, 2190/0.03, 2191/0.02, 2199/0.10, 3676/0.73, 3677/1.22, 3705/0.44, 746/0.05, 3747/0.23, 3748/0.48, 3749/0.18 कुल किता 20 रकबा 4.38 है0 स्थित है जिसमें से मुताबिक पारिवारिक सेटलमेंट प्रार्थी खसरा नं0 1884 रकबा 0.04 है0, खसरा नं0 1885 रकबा 0.06 है0, खसरा नं0 1898 रकबा 0.15 है0, पर काबिज काश्त है। प्रतिवादी कम 1 ता 4 ने खसरा नं0 1898 रकबा 0.15 है0 में बिना किसी कानूनी अधिकार के दादागिरी के बल पर मकान निर्माण कर रहे है। इसलिए अप्रार्थी कम 1 ता 4 को ता फैसला वाद जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाना आवश्यक है जिसका प्रार्थी अधिकारी व नालिसी है। अतः निवेदन है कि अप्रार्थीगण कम 1 ता 4 व उनके वैध प्रतिनिधि के विरूद्ध ताफैसला वाद इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा पारित करें कि अप्रार्थीगण व उनके वैध प्रतिनिधि प्रार्थी की आराजी खसरा नं0 1898 रकबा 0.15 है0 पर न तो स्वयं निर्माण करें न ही अपने अभिकर्ता से करावें ओ प्रार्थी के कब्जे में किसी प्रकार की दखलअंदाजी ना करें।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। हमने पत्रावली का अवलोकन प्रार्थना पत्र के परिप्रेक्ष्य में किया राजस्व रेकार्ड एवं दस्तावेजो का अवलोकन किया। बहस वकील पक्षकारान सुनी गई प्रार्थी छोटूलाल ग्राम सीसवाली के खसरा नम्बर 1898 रकबा 0.15 है0 पर अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा की मांग कर रहे है। मुताबिक राजस्व रेकार्ड खसरा नं0 1898 रकबा 0.15 है0 भूमि प्रार्थी सहित अन्य कई खातेदारान के नाम दर्ज रेकार्ड है तथा बंटवारा भी नही हुआ है ऐसी स्थिति में संयुक्त खातेदारी की भूमि के लिए स्थगन आदेश किसी एक खातेदार के पक्ष में जारी किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है। वकील अप्रार्थी सं0 1 ता 4 ने जाहिर किया कि मौके पर दुकानो का निर्माण किया जा चुका है वकील प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण 1 सें 4 गैर कानूनी अधिकार से निर्माण करके बैठे है। यदि अप्रार्थी कम 1 से 4 ने खसरा नं0 1898 में गैर कानूनी रूप से निर्माण करवाया है तो वकील प्रार्थी नियमानुसार उनके विरूद्ध बेदखली की कार्यवाही कर सकते है।

अतः सम्पुर्ण विवेचनोपरान्त प्रार्थना पत्र में इस निष्कर्स पर पहुंचा हूं कि वकील प्रार्थी संयुक्त खातेदारी में अंकित खसरा नं0 1898 रकबा 0.15 है0(संम्पूर्ण) पर स्थगन चाहा है जो नियमानुसार जारी नही किया जा सकता। प्रार्थना पत्र धारा 212 आरटी एक्ट खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 02.08.2017 को अदालत कोर्ट केम्प मांगरोल मजमेंआम सरेईजलास में सुनाया गया।

(हिम्मता राम मेहरा)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल